भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3570

10 दिसम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: असम में कृषि पर बाढ़ का प्रभाव

3570. श्री पल्लब लोचन दासः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वर्ष 2018 और 2019 में बाढ़ के बाद असम में कृषि उद्योग पर पड़े गंभीर प्रभाव की जानकारी है और उसे आगे उद्योग को हुई हानि की जानकारी भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार असम के कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कोई विशेष पैकेज शुरू करने की योजना बना रही है और इस क्षेत्र में होने वाली हानियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) राज्य सरकार बाढ़ सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के आने की स्थिति में आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होती हैं। केन्द्र सरकार प्रभावी रूप से स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने हेतु सभी संभव संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार क्षति का आकलन करती है और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उनके पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल हैं।

वर्ष 2018 और 2019 के दौरान असम में बाढ़ से क्रमश: 0.31 लाख हेक्ट. और 2.14 लाख हेक्ट. क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वर्ष 2018-19 में बाढ़ के लिए असम राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ से 138.38 करोड़ रूपए की धनराशि अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2019 में बाढ़ के लिए गृह मंत्रालय ने एक आईएमसीटी का गठन किया और आईएमसीटी ने मौके पर क्षति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आईएमसीटी

की रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस समिति की सिफारिश गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और उपाध्यक्ष, नीति आयोग की सदस्यता वाली उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

भारत सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके नाम हैं- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना (ई-नाम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) आदि।
इसके अलावा, भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का भी कार्यान्वयन कर रही है जिसकी चार पुरानी योजनाएं यथा (i) मेगा फूड पार्क (एमएफपी); (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (शीत श्रृंखला); (iii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) ; (iv) मानव संसाधन एवं संस्थान (एचआरआई) तथा तीन नई योजनाएं (i) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (इकाई योजना) ; (ii) कृषि प्रसंस्करण कलस्टर हेतु अवसंरचना (एपीसी) ; (iii) पश्चवर्ती एवं अग्रवर्ती संपर्क (बीएफएल) का निर्माण सहित सात घटक योजनाएं हैं। राज्य सरकार संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं का उपयोग कर सकती है।

****